न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) **अपील डिक्री/टीए/6100/2002/सवाई माधोपुर**

1- द्वारका प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल मृतक जरिये वारिसान :-
1/1. रूकमणीदेवी पत्नि स्व0 द्वारका प्रसाद,
1/2. नाथूलाल पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद,
1/3. सुरेशचन्द पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद,
1/4. महेश कुमार पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद,
1/5. उमादेवी पुत्री स्व0 द्वारका प्रसाद।
2- केदारमल पुत्र कन्हैयालाल मृतक जरिये वारिसान :-
2/1. रमेश चन्द पुत्र स्व0 केदारमल,
2/2. मुकेश पुत्र स्व0 केदारमल,
2/3. अनिता शर्मा पुत्री स्व0 केदारमल,
2/4. ललता पुत्री स्व0 केदारमल,
2/5. शकुन्तला पुत्री स्व0 केदारमल समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

------ **अपीलांट**

बनाम

1- मोहनलाल दत्तक पुत्र कल्याण मृतक जरिये वारिसान :-
1/1. प्रेमबाई पत्नि स्व0 मोहनलाल,
1/2. मुकेश शर्मा पुत्र स्व0 मोहनलाल,
1/3. सतीश शर्मा पुत्र स्व0 मोहनलाल,
1/4. हेमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 मोहनलाल,
1/5. गिरीजा देवी पुत्र स्व0 मोहनलाल,
1/6. कन्जुदेवी पुत्री स्व0 मोहनलाल।
2- रामेश्वर प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल मृतक जरिये वारिसान :-
2/1. प्रभूडी बैवा स्व0 रामेश्वरप्रसाद,
2/2. नवलकिशोर पुत्र स्0 रामेश्वर प्रसाद,
2/3. पुष्पादेवी पुत्री स्व0 रामेश्वरप्रसाद समस्त जाति ब्राह्मण निवासी कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

------- **रेस्पोडेण्ट्स**

(2) **अपील डिक्री/टीए/6101/2002/सवाई माधोपुर**

1- द्वारका प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल मृतक जरिये वारिसान :-
1/1. रूकमणीदेवी पत्नि स्व0 द्वारका प्रसाद,
1/2. नाथूलाल पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद,
1/3. सुरेशचन्द पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद,
1/4. महेश कुमार पुत्र स्व0 द्वारका प्रसाद,
1/5. उमादेवी पुत्री स्व0 द्वारका प्रसाद।

2– केदारमल पुत्र कन्हैयालाल मृतक जरिये वारिसान :–
2/1. रमेश चन्द पुत्र स्व0 केदारमल,
2/2. मुकेश पुत्र स्व0 केदारमल,
2/3. अनिता शर्मा पुत्री स्व0 केदारमल,
2/4. ललता पुत्री स्व0 केदारमल,
2/5. शकुन्तला पुत्री स्व0 केदारमल समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

------ अपीलांट

बनाम

1– मोहनलाल दत्तक पुत्र कल्याण मृतक जरिये वारिसान :–
1/1. प्रेमबाई पत्नि स्व0 मोहनलाल,
1/2. मुकेश शर्मा पुत्र स्व0 मोहनलाल,
1/3. सतीश शर्मा पुत्र स्व0 मोहनलाल,
1/4. हेमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 मोहनलाल,
1/5. गिरीजा देवी पुत्र स्व0 मोहनलाल,
1/6. कन्जुदेवी पुत्री स्व0 मोहनलाल।
2– रामेश्वर प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल मृतक जरिये वारिसान :–
2/1. प्रभूडी बैवा स्व0 रामेश्वरप्रसाद,
2/2. नवलकिशोर पुत्र स्0 रामेश्वर प्रसाद,
2/3. पुष्पादेवी पुत्री स्व0 रामेश्वरप्रसाद समस्त जाति ब्राह्मण निवासी कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

------- रेस्पोडेण्ट्स

खण्ड पीठ
श्री आर0डी0 मीणा, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

दोनों में उपस्थित
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट्स।
(2) श्री योगेन्द्र सिंह व श्री के0के0 पुरोहित अभिभाषक रेस्पो0।

निर्णय दिनांक :– 29.05.2024

यह दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 224, के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर की अपील संख्या 130/202 एवं 131/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रश्नगत दोनों प्रकरणों में एक समान पक्षकार, एक समान विचारणीय बिन्दु होने के कारण एवं विद्वान अभिभाषकगण द्वारा सहमति

से एक साथ बहस किये जाने के फलस्वरूप दोनों अपीलों का एक साथ निर्णय किया जा रहा है। हस्ताक्षरित निर्णय की पृथक-पृथक प्रतियां दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

3- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष प्रकरण सं0 130/89 में वादी मोहनलाल की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92-ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं प्रकरण सं0 143/89 में वादी रामेश्वर की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पृथक-पृथक वाद, वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी के प्रस्तुत किये गये जिन्हें दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण सं0 143/89 में अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28-05-2002 से रेस्पो0/प्रतिवादी का दावा डिक्री कर दिया एवं प्रकरण सं0 130/89 में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। उक्त दोनों निर्णय व डिक्री से क्षुब्ध होकर अपीलांट द्वारका प्रसाद की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर के समक्ष दो अपीलें पृथक-पृथक प्रस्तुत की गयी जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों अपीलों का विद्वान अभिभाषकगण की सहमति से एक साथ अपने निर्णय दिनांक 18-10-2002 से दोनों अपीलें अपीलांट खारिज करते हुए विद्वान उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28-05-2002 यथावत् रखें गये। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 18-10-2002 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारका प्रसाद की ओर से दो अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं।

4- दोनों अपीलों पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

5- दोनों अपीलों में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य

पर गौर नहीं किया कि उक्त पक्षकारों के मध्य पूर्व में भी फेमिल सेट्लमेन्ट हो चुका था जिसमें बंटवारा अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के अनुसार हो चुका था। इसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय देना चाहिए था किन्तु उक्त तथ्य को इग्नोर करते हुए निर्णय पारित किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में 5 तनकीयात कायम की थी परन्तु उनका सही रूप से विवेचन नहीं किया और न ही तनकी वाईस निर्णय पारित किया जब सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 नियम 2 में बताया गया है कि विचारण न्यायालय को तनकी अनुसार ही विस्तृत निर्णय पारित करना चाहिए किन्तु उक्त तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया। विचारण न्यायालय में दो दावे पृथक–पृथक थे तथा दोनों को कन्सोलिडेट नहीं किया गया था। इसलिए तनकीयों का निर्णय पर पृथक–पृथक किया जाना चाहिए था किन्तु उक्त तथ्यों को भी नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी ने काउन्टर क्लेम पेश किया था जिसका वादी/रेस्पो0 ने कोई जवाब पेश नहीं किया था। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को डिक्री करना चाहिए था फिर भी अपीलांट का काउन्टर क्लेम खारिज करने में भारी भूल की थी। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

6– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने दोनों अपीलों में अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए बहस में तर्क दिए कि विद्वान उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री जारी की है जिसकी विद्वान अपीलीय न्यायालय में अपील होने पर विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दोनों अपीले अपीलांट खारिज करते हुए विद्वान उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री को यथावत् रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः दोनों अपील अपीलांट खारिज किया जावें।

7– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

8– विद्वान उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पाली ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2002 में अंकित किया कि प्रकरण सं0 143/89 में अपने निर्णय व डिक्री में रेस्पो0/प्रतिवादी का दावा डिक्री कर दिया एवं प्रकरण सं0 130/89 में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

9– विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18–10–2002 में अंकित किया कि उक्त दोनों अपील सं0 130/02 व 131/02 खारिज की जाती है। उपजिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2002 यथावत् रखा जाता है।

10– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्धान परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 28–05–2002 में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं0 891 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 893 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 939 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा बाके ग्राम गम्भीरा तहसील सवाई माधोपुर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है तथा आराजीयात खसरा नम्बर 33 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम कुस्तला प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 भाग व वादी तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/2 भाग संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम कुस्तला वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है एवं आराजी खसरा नम्बर 1726 रकबा 4 बीघा, 15 बिस्वा, खसरा नं0 1727 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1730 रकबा 6 बीघा, 2 बिस्वा वाके ग्राम कुस्तला मे वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 5 का 3/4 भाग है व आराजी खसरा नम्बर 1729 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम कुस्तला वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 भाग संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादी उक्तानुसार वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन कराने का अधिकारी है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी रामेश्वर पुत्र कन्हैया लाल ब्राह्मण निवासी कुस्तला की आराजी

खसरा नं0 891 रकबा 4 बीघा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 893 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 939 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा हिस्सा 1/3 वाके ग्राम गम्भीरा तहसील सवाई माधोपुर का व आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा हिस्सा 1/6, खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 1726 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 1727 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1730 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1729 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा 1/6 वाके ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या । दामोदर व प्रतिवादी संख्या 2 जयशंकर पि0 रामकुवार जाति ब्राह्मण निवासी कुस्तला हाल निवासी इन्दौर को आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा हिस्सा 1/2 वाले ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार जो कि दिया जाता है, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारका प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल ब्राह्मण निवासी कुस्तला को आराजी द्वारा नम्बर 891 रकबा 4 बीघा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 893 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 939 रकबा 6 तथा 17 बिस्वा हिस्सा 1/3 वाके ग्राम गंभीरा का व आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा हिस्सा 1/6, खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नं0 1726 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हि0 1/12, ख0 नं0 1727 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हि0 1/12, ख0 नं0 1730 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1729 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा 1/6 वाके ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी सं0 4 केदारलाल उर्फ केसरलाल पुत्र कन्हैया लाल जाति ब्राह्मण निवासी कुस्तल को आराजी ख0नं0 891 रकबा 4 बीघा हि0 1/3, खसरा नं0 393 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 939 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा हिस्सा 1/3 वाके ग्राम गम्भीरा तहसील सवाई माधोपुर का व खसरा नं0 33 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा हिस्सा 1/6, खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा हि0 1/3, खसरा नम्बर 1726 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1727 रकबा 1

बीघा 8 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1730 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1729 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा 1/6 वाके ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 5 मोहनलाल दत्तक पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर को ख0नं0 1726 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हि0 3/4, ख0 नंबर 1727 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा 3/4, खसरा नम्बर 1730 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 3/4, ख0नं0 1729 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा 1/2 वाके ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसील सवाई माधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ल0 5 के मध्य मौके पर उक्तानुसार बंटवारा कर तकासमा स्कीम में नक्श ट्रेस 2-2 प्रतियों में लगान की राशि अलग-अलग कर प्रेषित करें। तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो।

11- विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 18-10-2002 से विस्तृत विवेचन कर दोनों अपीलें अपीलांट खारिज की हैं।

12- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी से संबंधित एक दावा सं0 130/89 वर्तमान प्रत्यर्थी/वादी श्री मोहनलाल की ओर से दावा इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्री रामेश्वर प्रसाद वगैरह के विरूद्ध पेश किया तथा दूसरा दावा सं0 193/89 श्री दामोदर वगैरह के विरूद्ध दावा इस्तकरार हक, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। दोनों दावों का निर्णय अलग-अलग लिखते हुए एक ही दिनांक 28-05-2002 को किया गया है जिसमें दावा सं0 130/89 के निर्णय में विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अंकित किया है कि उभयपक्ष ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर विवादित आराजी का विभाजन कर रखा है तथा वादी का विवादित कुएं में 1/2 हिस्सा हो तथा राजस्व रिकॉर्ड से अलग हटके मौके पर वादी व प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी पर 1/2-1/2 हिस्से पर कब्जा हो। प्रतिवादी केदार से वादी के वकील द्वारा की गई जिरह के मुताबिक वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार, सवाई माधोपुर रिसीवर नियुक्त है तथा

वादग्रस्त आराजी कुर्की में है। खसरा नं0 1730 का 3/4 भाग पीर मोहम्मद की तरफ का वादी के कब्जे में हो, खसरा नं0 1727 का 3/4 भाग पीर मोहम्मद व लड्डू की तरफ का वादी के कब्जे में हो तथा यह भी गलत है कि खसरा नं0 1726 का उत्तर की तरफ का 3/4 भाग वादी के कब्जे में रहा हो। यह बात भी गलत है कि खसरा नं0 1729 का 1/2 भाग पीर मोहम्मद की तरफ का वादी के कब्जे में हो, यह बात भी गलग है कि आम के 6 पेड़ व बबूल के पेड़ वादी के पिता के समय लगाये हो। वादग्रस्त कुएं में 1/4 भाग वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण का तथा 1/2 हिस्सा अन्य लोगों का है। विवादित भूमि में प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 का बराबर हिस्सा होना प्रतिवादी केदार ने बयानों में स्वीकार किया है। वाद में दर्शाए गए कुएं का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं है।

13- वादग्रस्त आराजी के संबंध में एक वाद सं0 143/89 रामेश्वर बनाम दामोदर में इस वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का अन्य के अलावा वादी व प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 को भी राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक आराजी खातेदार उनके हिस्से के मुताबिक घोषित किया जाकर आज ही प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, सवाई माधोपुर से तकासमा स्कीम मय ट्रेस तलब की गई है। अतः तनकी सं0 1 ल0 3 पर पुनः अलग से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त कुएं से पूर्व की भांति वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 3 अपने-अपने हिस्से की भूमि की आबपाशी करते रहेंगे।

14- वाद सं0 143/89 में विद्वान परीक्षण न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं0 891 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 893 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 939 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा बाके ग्राम गम्भीरा तहसील सवाई माधोपुर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है तथा आराजीयात खसरा नम्बर 33 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम कुस्तला प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/2 भाग व वादी तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/2 भाग संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। इसी

प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम कुस्तला वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है एवं आराजी खसरा नम्बर 1726 रकबा 4 बीघा, 15 बिस्वा, खसरा नं0 1727 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1730 रकबा 6 बीघा, 2 बिस्वा वाके ग्राम कुस्तला मे वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 5 का 3/4 भाग है व आराजी खसरा नम्बर 1729 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम कुस्तला वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 भाग संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादी उक्तानुसार वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन कराने का अधिकारी है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी रामेश्वर पुत्र कन्हैया लाल ब्राह्मण निवासी कुस्तला की आराजी खसरा नं0 891 रकबा 4 बीघा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 893 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 939 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा हिस्सा 1/3 वाके ग्राम गम्भीरा तहसील सवाई माधोपुर का व आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा हिस्सा 1/6, खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 1726 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 1727 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1730 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1729 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा 1/6 वाके ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या । दामोदर व प्रतिवादी संख्या 2 जयशंकर पि0 रामकुवार जाति ब्राह्मण निवासी कुस्तला हाल निवासी इन्दौर को आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा हिस्सा 1/2 वाले ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार जो कि दिया जाता है, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारका प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल ब्राह्मण निवासी कुस्तला को आराजी द्वारा नम्बर 891 रकबा 4 बीघा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 893 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 939 रकबा 6 तथा 17 बिस्वा हिस्सा 1/3 वाके ग्राम गंभीरा का व आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा हिस्सा 1/6, खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नं0 1726 रकबा

4 बीघा 15 बिस्वा हि0 1/12, ख0 नं0 1727 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हि0 1/12, ख0 नं0 1730 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1729 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा 1/6 वाके ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, प्रतिवादी सं0 4 केदारलाल उर्फ केसरलाल पुत्र कन्हैया लाल जाति ब्राह्मण निवासी कुस्तल को आराजी ख0नं0 891 रकबा 4 बीघा हि0 1/3, खसरा नं0 393 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा हिस्सा 1/3, खसरा नम्बर 939 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा हिस्सा 1/3 वाके ग्राम गम्भीरा तहसील सवाई माधोपुर का व खसरा नं0 33 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा हिस्सा 1/6, खसरा नम्बर 1325 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा हि0 1/3, खसरा नम्बर 1726 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1727 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1730 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 1/12, खसरा नम्बर 1729 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा 1/6 वाके ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 5 मोहनलाल दत्तक पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण कुस्तला तहसील सवाई माधोपुर को ख0नं0 1726 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हि0 3/4, ख0 नंबर 1727 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा 3/4, खसरा नम्बर 1730 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 3/4, ख0नं0 1729 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा हिस्सा 1/2 वाके ग्राम कुस्तला तहसील सवाई माधोपरु का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसील सवाई माधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ल0 5 के मध्य मौके पर उक्तानुसार बंटवारा कर तकासमा स्कीम में नक्श ट्रेस 2-2 प्रतियों में लगान की राशि अलग-अलग कर प्रेषित करें। तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो।

15- खतौनी 43-46 एक्जी.1, गिरदावरी 43-46 एक्जी.-1 में उक्त आराजी रामेश्वर, द्वारका, केसर पुत्र कन्हैया हिस्सा 1/4 एवं मोहनलाल दत्तक पुत्र कल्याण हिस्सा 3/4 खसरा नं0 1726, 1727, 1730 में व 1712 में दर्ज है तथा रामेश्वर, द्वारका, केदार पुत्र कन्हैया हिस्सा 1/2 दर्ज है।

16– अन्य अपील सं0 134/02 में आराजी के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड खतौनी 41–44 एक्जी–2 में रामेश्वर, केदार, द्वारका पुत्रान कन्हैया का खसरा नं0 891, 893, 939 में बराबर का हिस्सा है तथा एक्जी–3 खतौनी 38–41 में रामकुवार/मोती 1/2, रामेश्वर, केदार हिस्सा 1/2 तथा खसरा नं0 1325 में बराबर का हिस्सा है।

17– उक्त राजस्व रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पो0 का खतौनी 38–41 एक्जी–3 व 2 के मुताबिक हिस्सा आराजी रिकॉर्ड में दर्ज है जिसका विद्वान परीक्षण न्यायालय ने पूर्ण रूप से अवलोकन कर निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् है।

18– दोनों दावों में समान पक्षकार व समान आराजी है। रेस्पो0 का वादी का अलग–अलग हिस्सा है जिसके समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है।

19– विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा दोनों अपीलें अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की गई है जो पूर्णतया विधिसम्मत् है।

20– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार दोनों अपीले अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

21– हस्ताक्षरित निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संलग्न की जावें।

22– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(आर0डी0मीणा)
सदस्य